(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 16 /2023
दिनांकः 3 जुलाई, 2023

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07019000 के तहत मदों के लिए आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के तहत मद की नीतिगत शर्त में संशोधन करती हैः

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07019000	आलू, ताज़ा या प्रशीतितः अन्य	प्रतिबंधित	भूटान से आलू का आयात बिना किसी लाइसेंस के 30 जून, 2023 तक मुक्त रूप से अनुमत है।	भूटान से आलू का आयात बिना किसी लाइसेंस के 30 जून, 2024 तक मुक्त रूप से अनुमत है।

2. अधिसूचना का प्रभावः

आईटीसी (एचएस) कोड 07019000 के तहत भूटान से आलू का आयात बिना किसी आयात लाइसेंस के 30 जून, 2024 तक अनुमत किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
3.7.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/02/एएम–17/पीसी–2[क]/ई–3200 से जारी)